राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS/WAM/5912 दिनांक 02/01/25

परिपत्र

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.8(6)एफडी/एस.पी.एफ.सी./परिपत्र/2023 दिनांक 07.10.2024 के बिन्दु संख्या 1 में समस्त उपापन संस्थाओं द्वारा सर्वप्रथम प्रशासनिक स्वीकृति जारी किये जाने, संकर्म के उपापन के मामलों में तकनीकी स्वीकृति जारी करते हुए डीपीआर तैयार किये जाने, उपापन की विषय–वस्तु के आधार पर बी.एस.आर./मार्केट सर्वे/जैम पोर्टल पर प्रदर्शित दरें/अन्य संस्थाओं द्वारा पूर्व में जारी क्रय/कार्य आदेश का विश्लेषण कर अनुमानित लागत के निर्धारण पश्चात प्राप्त अनुमानित लागत के आधार पर वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु दिशा–निर्देश प्रदत्त किये गये है।

उक्त परिपेक्ष्य में वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र दिनांक 29.07.2024 के अनुसार आई.एफ.एम.एस. 3.0 में संचालित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने की प्रक्रिया में निम्नानुसार प्रावधान सम्बद्ध किये जायेगें :–

1. वर्तमान में आई.एफ.एम.एस. 3.0 में विकसित WAM Module पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एक साथ जारी की जा रही है। उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत अब केवल SOP के अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाकर प्रशासनिक स्वीकृति के साथ FD-AS-ID प्राप्त की जायेगी। प्रशासनिक स्वीकृति में स्वीकृत किए जा रहे कार्य को पूर्ण किये जाने की अवधि को उल्लेखित किया जावेगा। प्रशासनिक स्वीकृति में बजट मद प्रदर्शित कराये जाने का प्रावधान वैकल्पिक होगा।
2. वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु आई.एफ.एम.एस. 3.0 में अलग प्रक्रिया विकसित की गई है। जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर जारी तकनीकी स्वीकृति एवं BOQ के अनुसार की गई उपापन प्रक्रिया उपरान्त स्वीकृत निविदा के अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी कर FD-FS-ID प्राप्त किये जाने का प्रावधान रखा जावेगा। तकनीकी स्वीकृति में डीपीआर को भी जोडा जावेगा। इस हेतु प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया को सम्बद्ध किया जायेगा।
3. एक प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्व एक अथवा एकाधिक तकनीकी स्वीकृति जारी की जा सकेगी। प्रत्येक तकनीकी स्वीकृति के अनुसार (One to one) वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
4. बजट प्रक्रिया, प्रबन्धन एवं उपयोग संबंधी परिपत्र दिनांक 30.08.2024 एवं वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.08.2019 के अनुसार निर्माण कार्य विभागों द्वारा बी.एफ.सी. को प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव प्रपत्र 7(अ) एवं 7(ब) प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान किया जावेगा। नवीन निर्माण कार्यों (New works) से संबंधित प्रस्ताव उक्त प्रक्रिया के माध्यम से प्रपत्र 7(ब) में प्रस्तुत किये जाने का प्रोवधान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वर्तमान में जारी (Ongoing) निर्माण कार्यों हेतु बी.एफ.सी. में प्रावधान के लिये उक्त प्रक्रिया में संधारित स्वीकृति एवं अब तक किये जा चुके व्यय के आंकडों के अनुसार प्रपत्र 7(अ) में प्रदर्शित कराकर बी.एफ.सी. हेतु प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान रखा जायेगा।

5. वित्तीय स्वीकृति किसी बजट मद एवं अन्य संसाधन (Other source) अथवा दोनों को सम्मिलित करते हुए जारी की जा सकेगी। बजट मदों से वित्तीय स्वीकृति सम्बद्ध होने पर बी.एफ.सी. से भी उसको संयोजित किया जायेगा।

6. वर्तमान में निर्माण विभागों की दशा में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया में लोक निर्माण एवं वित्तीय लेखा नियम भाग–द्वितीय के परिशिष्ट–XIII SOP के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों के अनुसार प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा बिन्दु संख्या 3 के अन्तर्गत स्वीकृतियां जारी की जायेगी। SOP की सक्षमता प्रशासनिक स्वीकृति की कुल लागत से सम्बद्ध होगी तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु आवश्यकतानुसार वित्त विभाग से स्वीकृति लिया जाना भी आवश्यक होगा।

7. तकनीकी स्वीकृति में Work amount (कार्य की पूर्ण लागत राशि) एवं Work allotment amount (BOQ की राशि) को सम्मिलित किया जायेगा। वित्तीय स्वीकृति Work amount हेतु जारी की जा सकेगी। इस प्रकार कार्य पर भारित किए जाने वाले कन्टीजेन्सी चार्जेज, प्रोरेटा चार्जेज एवं तत्संबंधी अन्य चार्जेज भी नियमानुसार वित्तीय स्वीकृति में सम्मिलित किये जा सकेगे।

8. वित्तीय स्वीकृति को तकनीकी स्वीकृति के अनुसार तैयार BOQ/G-schedule के आधार पर कार्यादेश से सम्बद्ध किया जायेगा।

9. उपापन की दशा में वर्क आर्डर में (प्रोक्योरमेन्ट के पश्चात) दरें/राशि कम होने पर पूर्व में जारी कुल वित्तीय स्वीकृति में स्वतः संशोधन के प्रावधान सिस्टम से सम्बद्ध किए जायेगें।

10. वित्तीय स्वीकृति के आधार पर जारी कार्यादेश के अनुसार कार्य के दौरान Excess/Extra आईटम सम्मिलित कर लिये जाने के कारण यदि राशि वित्तीय स्वीकृति के 10% से अधिक हो जाती है तो लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 288 के अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति राशि की सीमा तक संशोधित वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान किए जाने का प्रावधान किया जायेगा।

11. निर्माण कार्यो से संबंधित आई.एफ.एम.एस. 3.0 में विकसित वित्तीय स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से, तकनीकी स्वीकृति जारी किये जाने की प्रक्रिया दिनांक 15.01.2025, BOQ (Bill of Quantity) तैयार करने की प्रक्रिया दिनांक 31.01.2025 एवं कार्यादेश जारी किये जाने की प्रक्रिया दिनांक 10.02.2025 से लागू होगी। उक्त प्रक्रियाऐं आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर लागू होने की दिनांक तक आई.एफ.एम.एस. 2.0 पर संचालित रहेगी।

शेष प्रावधान लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं संदर्भित परिपत्र दिनांक 29.07.2024 के अनुसार यथावत रहेगें।

2/01/2025

(देबाशीष पृष्टी)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :– 5912 दिनांक- 02/01/25

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/सिविल लेखा परीक्षा/वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर
5. उपशासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
6. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग, सचिवालय, जयपुर
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
9. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, समस्त विभाग।
11. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी
12. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
13. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी. (ट्रेजरी/वॉम) एल.आई.सी. भवन, जयपुर।

(भूपेश माथुर) 2.1.25
संयुक्त शासन सचिव